



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02112021-230902
CG-DL-E-02112021-230902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4220]
No. 4220]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 1, 2021/कार्तिक 10, 1943
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 1, 2021/KARTIKA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2021

का.आ. 4581(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2627 (अ) तारीख 18 जून 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 30 जून 2021, में प्रकाशित की गई थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में बिहार राज्य में “पारादीप-हल्दिया-दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन का संबर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार” अन्तर्गत थाना : बाढ़, जिला : पटना, राज्य : बिहार में एलपीजी पदार्थ के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 22 जुलाई 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

थाना : बाढ़		जिला : पटना	राज्य : बिहार		
मौजा /ग्राम	सर्वे / ब्लॉक / सं.(प्लोट सं.)	सब-डीव-सं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	आरे	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
शाहपुर-155 अंचल : बख्तियारपुर	668		00	01	55
	669		00	01	29
	670		00	01	09

[फा. सं. आर-11025(11)/235/2017-ओआर-1/ई-13716]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th October, 2021

S.O. 4581(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No. S.O. 2627 (E) dated 18th June 2021, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra ordinary Gazette of India dated 30th June 2021, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Augmentation of Paradip-Haldia-Durgapur LPG pipeline and its extension upto Patna and Muzaffarpur” for the transportation of LPG Products in Thana Barh, Patna District in the state of Bihar by Indian Oil Corporation Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 22nd July 2021;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the

Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Thana : Barh		District : Patna		State : Bihar	
Mouza / Village	Survey/ Block No.	Sub-Div-No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
Shahpur-155	668		00	01	55
Anchal : Bakhtiyarpur	669		00	01	29
	670		00	01	09

[F. No. R-11025(11)/235/2017-OR-1/E-13716]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.